रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269603
CG-DL-E-27012026-269603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 63(अ).— केंद्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 27 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श के पश्चात, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 85 (ई), दिनांक 30 जनवरी, 2025 के अनुसार प्रकाशित किये गये थे, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त दिशा-निर्देश कहा गाया हो), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन दिशा-निर्देशों **का संक्षिप्त नाम** जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशा-निर्देश, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2 में,-

(i) उप पैरा (1) में, खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ख.क.) '**रजिस्ट्रीकृत** पर्यावरण लेखा परीक्षक' से पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के अंतर्गत परिभाषित पर्यावरण लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;";

(ii) खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङअ) 'ऑनलाइन पोर्टल' **से** एकीकृत सहमति और प्राधिकरण प्रबंधन पोर्टल अभिप्रेत है;";

(iii) उप पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) उन शब्दों और पदो के, जो इससे प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम या नियमों में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और नियमों में क्रमशः दिए गए है।"

3.उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 3 में निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. सहमति तथा शुल्क के लिए आवेदन का प्ररूप. - अधिनियम की धारा 25 के अधीन औद्योगिक संयंत्र की स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए सहमति हेतु प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के अधीन निर्धारित प्ररूप में किया जाएगा और उसमें औद्योगिक संयंत्र का विवरण अंतविष्ट **किया जाएगा** और प्ररूप में निर्धारित अन्य विवरण शामिल होंगे तथा इसके साथ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, इन दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क भी संलग्न होगा।"

4. उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 4 में उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा **रखा** जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एक बार अनुमति मिल जाने पर, परिचालन की सहमति तब तक वैध रहेगी, जब तक कि इसे इन दिशा-निर्देशों के पैरा 13 के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता";

5. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5 में,-

(i) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा **रखा** जाएगा, अर्थात्:-

" (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 5 से 25 वर्ष की किसी भी अवधि के लिए प्रचालन की सहमति हेतु एकमुश्त शुल्क अवधारित कर सकता है, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन किया जा सकता है:

परंतु कि परियोजना प्रस्तावक को ऐसी फीस का भुगतान 5 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाने के लिए उस अवधि की समाप्ति के पश्चात करना होगा जिसके लिए पहले एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया गया है।"

(ii) उप पैरा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा **रखा** जाएगा, अर्थात्: -

"6. **सहमति के लिए आवेदन पर जांच करने की प्रक्रिया.- (** 1) सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में दी गई विवरणों की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त विवरण या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हैं, प्रतिनियुक्त कर सकता है या संबंधित परियोजना प्रस्तावक आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने, आवेदन में दिए गए विवरणों की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त विवरण या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की राय में आवश्यक हैं, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की सेवाएं ले सकता है।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य बोर्ड का अधिकारी, उस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकता है, जहां चिमनी से ठोस, तरल या गैसीय उत्सर्जन या परिसर के भीतर किसी भी स्थान से भगोड़ा उत्सर्जन निकलता है, और ऐसा अधिकारी आवेदक या अधिभोगी से नियंत्रण उपकरण या प्रणालियों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई योजना, विनिर्देश या अन्य डाटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक, उस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे स्थान या परिसर का दौरा कर सकता है, जहां चिमनी से ठोस, तरल या गैसीय उत्सर्जन या परिसर के भीतर किसी भी स्थान से भगोड़ा उत्सर्जन होता है, और ऐसा रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक आवेदक या अधिभोगी से नियंत्रण उपकरण या प्रणालियों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई योजना, विनिर्देश या अन्य डेटा प्रस्तुत करने की **अपेक्षा** कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है।

(4) उप- पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी आवेदक के किसी भी परिसर का दौरा करने से पहले आवेदक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा।

(5) आवेदक ऐसे अधिकारी को सभी सूचनाएं देगा तथा निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो कि यथोचित रूप से आवश्यक हों।

(6) राज्य बोर्ड को इस दिशानिर्देश द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त कृत्यो सहित अपने किसी कृत्य को करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन के लिए, राज्य बोर्ड पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 तथा समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

(7) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत अधिसूचित औद्योगिक सम्पदा या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए, स्थापना की सहमति, संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्ररूप-I में स्व-प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रदान की गई मानी जाएगी।

7. उक्त दिशा-निर्देशों में, पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"7. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के लिए समेकित सहमति एवं प्राधिकरण: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ-साथ अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति प्रदान करने के लिए एकल चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसा भी लागू हो।"

8. उक्त दिशा-निर्देशों में, पैरा 8 में, उप-पैरा (1) में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तंभ (2) में, "या इनकार" शब्द को हटा दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के समक्ष, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3	विस्तार या संशोधन के लिए संचालन की सहमति देना या न देना	90	60	30"

IndiaCode

9. उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. स्थान के चयन की प्रक्रिया – किसी स्थान पर नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने से संबंधित विशिष्ट और/या सामान्य शर्तें, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता वाली औद्योगिक इकाई के मामले में, केंद्रीय/राज्य स्तर पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा और अन्य मामलों में संबंधित राज्य बोर्ड द्वारा, जमीन पर साइट की स्थिति के मद्देनजर उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों और/या शमन उपायों के साथ लागू की जाएंगी।"

10. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 10 में,-

(i) उप -पैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(4) सहमति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, ताकि आवेदन में दी गई विशिष्टियो की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि की जा सके या ऐसी और विशिष्टिया या जानकारी अभिप्राप्त की जा सके, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हैं या संबद्ध परियोजना प्रस्तावक आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने के लिए, आवेदन में दी गई विशिष्टियो की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसी और विशिष्टिया या जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की राय में आवश्यक हैं, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की सेवाएं ले सकता है।"

(ii) उप-पैरा (5) में, "उप पैरा (4) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों तथा अंक के स्थान पर **"** यथास्थिति राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा या परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक द्वारा शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उप-पैरा (6) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (7) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या संबंध स्थानीय निकाय द्वारा सम्यकतः अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं या औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए, स्थापना की सहमति, संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारूप -I में स्व-प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अनुदत्त की गई मानी जाएगी।"

11. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 11 में,-

(i) उप -पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) सहमति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसी और विशिष्टिया या जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हैं, या संबंध परियोजना प्रस्तावक आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने, आवेदन में दी गई विशिष्टियो की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसी और विशिष्टिया या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की राय में आवश्यक हैं, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की सेवाएं ले सकता है।";

(ii) उप-पैरा (4) में, "उप-अनुच्छेद (3) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों तथा अंको के स्थान पर "यथास्थिति राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा या परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक द्वारा", प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(iii) उप -पैरा (6) का लोप किया जाएगा।

12. उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 12 का लोप किया जाएगा।

13. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 13 में ,-

(i) उप पैरा (1) में, "या सहमति की समाप्ति पर ,यदि जिन शर्तों के अधीन सहमति दी गई थी, वे पूरी नहीं होने पर नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा " शब्दों के स्थान पर "यदि जिन शर्तों के अधीन सहमति दी गई थी, वे पूरी नहीं हो सके "शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-पैरा (2) में, खंड (ix) में, "किसी भी फीस " शब्दों के स्थान पर, "किसी भी विहित फीस" शब्द **रखा** जाएगा।

14. उक्त दिशा-निर्देशों में, पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल.- (1) केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों के परामर्श से, इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनों के लिए, इन दिशा-निर्देशों की अधिसूचना की तारीख से अधिमानतः छह मास के भीतर, तथा एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

(2) पोर्टल प्रचालनीय होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति अनुदत्त करने, सत्यापन, स्थल निरीक्षण, अस्वीकृति या रद्दकरण के लिए सभी आवेदनों पर, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केवल ऐसे पोर्टल के माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी तथा उनका निपटारा किया जाएगा।

(3) जब तक पोर्टल प्रचालनीय नहीं हो जाता, तब तक अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति अनुदत्त करने के लिए आवेदन, जिसमें सत्यापन, स्थल निरीक्षण, अस्वीकृति या रद्दकरण शामिल है, इन दिशानिर्देशों के अनुसार विधमान व्यवस्था के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है।

(4) पोर्टल इन दिशा-निर्देशों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के संबंध में एकल बिंदु डाटा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।

(5) केन्द्रीय बोर्ड, स्थापना और प्रचालन की सहमति के लिए आवेदनों के साथ प्राप्त फीस का पांच प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में प्रभारित कर सकेगा, जिसे अधिनियम की धारा 36 के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निधि में जमा किया जाएगा।

15. उक्त दिशा-निर्देशों की, पहली अनुसूची में, -

(i) "प्ररूप 2" में, "या सहमति के नवीनीकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) भाग क :साधारण की क्रम सं 1.2 की "विस्तार/नवीनीकरण/ विधिमान्यता विस्तार / अंतरण" प्रविष्टियों के स्थान पर, "विस्तार/ अंतरण" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(iii) पैरा -3 ,उप-शीर्षक "स्थापना करने की सहमति/ विस्तार और नवीनीकरण के लिए सहमति, यथा लागू की अनुपालन रिपोर्ट " के स्थान पर "स्थापना करने की सहमति /विस्तार के लिए सहमति, यथा लागू की अनुपालन रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे ।

16. उक्त दिशा-निर्देशों की, दूसरी अनुसूची में,-

(i) पैरा क में, उप-पैरा 1 में, खंड (**छ**) के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण **अंतःस्थापित किया** जाएगा, अर्थात्: -

"**टिप्पण**: - "पूंजी विनिधान" से अभिप्रेत है स्थिर आस्तियां जैसे कि ज़मीन, भवन जिसमें स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं, औद्योगिक परिसर (या) टाउनशिप, संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में किया गया विनिधान, जिसमें बिना अवक्षयों के प्रदूषण नियंत्रण पर विनिधान की लागत शामिल है। रनिंग प्रचालन और रखरखाव लागत और दूसरे राजस्व व्यय इस हेड में शामिल नहीं होंगे। पट्टे की ज़मीन और/या भवन या किसी दूसरी आस्तियों में चलने वाले उद्योग के मामले में, वार्षिक पट्टा मूल्य का दस गुना पूंजी विनिधान में ज़मीन की लागत (या) संपत्ति/ज़मीन की गाइडेंस वैल्यू, जो भी अधिक हो, के समतुल्य माना जाएगा।"

(ii) पैरा ग में, "पैरा 4(3) में दी गई सहमति के अनुसार "शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों के स्थान पर, "इन दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अनुसार" शब्द, आंकड़े और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्लू/ई-240803]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मुल दिशानिर्देश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा. का. नि. 85 (अ), तारीख 30 जनवरी , 2025 द्वारा प्रकाशित हुए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

G.S.R. 63(E).— In exercise of the powers conferred by section 27A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, after consultation with Central Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85 (E) , dated 30th January, 2025, (hereinafter referred to as the said guidelines), namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These guidelines may be called the Control of Water Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Amendment Guidelines, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said guidelines, in paragraph 2, -

(i) in sub-paragraph (1), after clause (b), following clause shall be inserted, namely: -

"(ba) 'Registered Environment Auditor', means Environment Auditor as defined under the Environment Audit Rules, 2025;";

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ea) 'online portal', means the unified consent and authorization management portal;";

(iii) for sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(2) The words and expression used but not defined in these guidelines and defined in the Act or rules shall have the meaning respectively assigned to them in Act and rules".

3. In the said guidelines, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"3. Form of application for consent and fees. - Every application for consent to establish or operate an industrial plant under section 25 of the Act shall be made in the Form set out under the First Schedule and shall contain the particulars of the industrial plant and such other particulars as set out in the Form and also shall be accompanied by the fee as specified by state government or Union territory Administration, as the case may be in accordance with provisions of para 5 of these guidelines.";

4. In the said guidelines, in paragraph 4, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted.

"(3) Once granted, the consent to operate shall continue to remain valid till it is cancelled in accordance with the provisions of paragraph 13 of these guidelines";

5. In the said guidelines, in paragraph 5, -

(i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government or Union territory Administration may determine one-time fee for consent to operate for any duration of period of 5 to 25 years as may be applied for by the Project Proponent:

Provided that the Project Proponent shall have to pay such fee for further extension of period from 5 to 25 years, after the expiry of such period for which one-time fee has been paid earlier.";

(ii) in sub-paragraph (2), for the words "the State Government", the words "the State Government in consultation with State Board" shall be substituted.;

6. In said guidelines, for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"6**. Procedure for making enquiry on application for consent.-(**1) On receipt of an application for consent, the State Board may depute any of its officers to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential or the concerned Project Proponent may engage the services of Registered Environment Auditor for visiting any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such Registered Environment Auditor are essential.

(2) The officer of the State Board referred to in sub-paragraph (1), for that purpose, may inspect any place or premises where solid, liquid or gaseous emission from the chimney or fugitive emissions from any location within the premises are discharged, and such officer may require the applicant or the occupier to furnish to him any plans, specifications or other data relating to control equipment or systems or any part thereof that he considers necessary.

(3) The Registered Environment Auditor referred to in sub-paragraph (1), for that purpose, may visit any place or premises where solid, liquid or gaseous emission from the chimney or fugitive emissions from any location within the premises are discharged, and such Registered Environment Auditor may require the applicant or the occupier to furnish to him any plans, specifications or other data relating to control equipment or systems or any part thereof that he considers necessary.

(4) The officer referred to in sub-paragraph (1) shall, before visiting any of the premises of the applicant, give notice to the applicant of his intention to do so.

(5) The applicant shall furnish to such officer all information and provide all facilities for inspection as reasonably may be necessary.

(6) For the purpose of enabling a State Board to perform any of its functions including the functions conferred on it by or under this guideline, the State Board may engage Registered Environment Auditor in accordance with the Environment Audit Rules, 2025, and its amendments from time to time.

(7) For Micro and Small units located in Industrial Estates or Industrial area duly notified by the State Government / Union Territory Administration or the concerned local body, consent to establish shall be deemed to be granted once the self-certified application is submitted in Form-I by the concerned Project Proponent.";

7. In the said guidelines, for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"7. Consolidated Consent and Authorization for Hazardous and Other Wastes: - A single-step procedure shall be adopted for granting consent under section 25 of the Act along with authorization under various Waste Management Rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986, as may be applicable.";

8. In the said guidelines, in paragraph 8, in sub-paragraph (1), in the Table, -

(i) against the Sl. No.1, in column (2), the words "or refusal" shall be omitted;

(ii) against the Sl No.3 and entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3	Grant or refusal of consent to operate for expansion or amendment	90	60	30"

IndiaCode

9. In the said guidelines, for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"9. Procedure for selection of location – Specific and /or General conditions related to establishing a new industrial unit at a location along with the appropriate environment safeguards and/ or mitigation measures, in view of site condition on the ground shall be imposed, in the case of an industrial unit requiring Environment Clearance (EC), by the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) at the Central /State level, and in other cases, by the concerned State Board.".

10. In the said guidelines, in paragraph 10, -

(i) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(4) On receipt of an application for consent, the State Board may depute any of its officers to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential or the concerned Project Proponent may engage the services of Registered Environment Auditor for visiting any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such Registered Environment Auditor are essential."

(ii) in sub-paragraph (5), after the words, brackets and figure" sub-paragraph (4)", the words **"**by the officer deputed by the State Board or by the Registered Environment Auditor engaged by the Project Proponent, as the case may be" shall be inserted.

(iii) after sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be inserted, namely: -

"(7) For Micro and Small units located in Industrial Estates or Industrial area duly notified by the State Government or Union territory Administration or the concerned local body, consent to establish shall be deemed to be granted once the self-certified application is submitted in Form-I by the concerned Project Proponent.".

11. In the said guidelines, in paragraph 11, –

(i) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(3) On receipt of an application for consent, the State Board may depute any of its officers to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential or the concerned Project Proponent may engage the services of Registered Environment Auditor for visiting any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such Registered Environment Auditor are essential.";

(ii) in sub-paragraph (4), after the words, brackets and figure" sub-paragraph (3)", the words **"**by the officer deputed by the State Board or by the Registered Environment Auditor engaged by the Project Proponent, as the case may be" shall be inserted.

(iii) sub- paragraph (6) shall be omitted.

12. In the said guidelines, paragraph 12 shall be omitted.

13. In said guidelines**,** in paragraph 13,-

(i) in sub-paragraph (1), the words "or refuse the renewal of the consent expiry", shall be omitted.

(ii) in sub-paragraph (2), in clause (ix), for the words "non-payment of any fee,", the words "non-payment of any prescribed fee," shall be substituted.

14. In said guidelines, for paragraph 16, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"16. Portal for implementation of these guidelines. -(1) The Central Board, in consultation with the State Boards, shall develop an online portal for the purposes of these guidelines, preferably within six months, and not later than one year from the date of notification of these guidelines.

(2) After the portal is operational, all applications for grant of consent under section 25 of the Act, verification, site inspection, refusal or cancellation, shall be processed and disposed of only through such portal, in all states and union territories.

(3) Till the portal becomes operational, applications for grant of consent under section 25 of the Act, including verification, site inspection, refusal or cancellation may be processed through the existing arrangement in accordance with these guidelines.

(4) The portal shall act as a single point data repository with respect to management and implementation of these guidelines.

(5) The Central Board may charge five per cent of the fee received with applications for consent to establish and operate, as service fee which shall be credited to the fund of the Central Pollution Control Board in accordance with the section 36 of the Act.".

15. In said guidelines, in FIRST SCHEDULE, -

(i) in "FORM II", the words "or renewal of consent" shall be omitted.

(ii) in PART A: GENERAL, against S. No. 1.2, for the entries "Expansion/Renewal/ Validity Extension/ Transfer", the entries "Expansion/ Transfer", shall be substituted.

(iii) under sub-heading “Mandatory Documents to be enclosed for grant of Consent to Operate”, in paragraph 3, the words " and renewal" shall be omitted.

16. In said guidelines, in THE SECOND SCHEDULE, -

(i) in paragraph A, in sub-paragraph 1, after clause (g) the following Note shall be inserted, namely: -

“Note: -" Capital Investment” means the investment made on fixed assets i.e. Land, Buildings including Staff Quarters, Guest House etc. within industrial premises (or) townships, plants and machinery or equipment including the cost of investment on pollution control without depreciation. The running Operation and Maintenance cost and other revenue expenditure shall not be included under this head. In case of an industry operating in lease land and / or building or any other assets, ten times the annual lease value is to be taken as equivalent as land cost in Capital Investment (or) Guidance Value of property / land, whichever is higher.”.

(ii) in paragraph C, for the words, figures and brackets “of consent as given in para 4(3)” the words, brackets and figures “in accordance with sub-paragraph (1) of paragraph 5 of these guidelines.”**.**

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-240803]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

IndiaCode

Note: - The principal guidelines were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 85 (E), dated 30th January, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026-01-27 22:23:28 +05'30'